

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला मिण्ड (म0प्र0)

आपराधिक प्रक0क्र0-611/12

संस्थित दिनांक-08.08.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मौ

जिला-मिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

अभिलाख पुत्र लाखनसिंह राजपूत उम्र 31 साल

निवासी ग्राम चोरई थाना असवार जिला मिण्ड

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-**[आज दिनांक 13.04.2017 को घोषित]**

अभियुक्त पर आयुध अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25-(1-बी) (बी) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 23.06.12 को समय 18:30 बजे, मौ किटी रोड पर अपने आधिपत्य में एक लोहे की छुरी को बिना वैध लायसेंस के रखा जो म0प्र0 राज्य की अधिसूचना क्रमांक-6321-6552-II-बी (1) दिनांक 22.11.74 के विपरीत है।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि थाना प्रभारी मौ एस0बी0एस0 रघुवंशी को दिनांक 23.06.12 को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चोरई थाना असवार जिला मिण्ड का फरारी बदमाश अभियुक्त अभिलाखसिंह राजपूत मौ से किटी तरफ रोड से आ रहा है जिसकी सूचना को रोजनामचा सान्हा पर अंकित कर मय फोर्स शासकीय वाहन से रवाना होकर किटी रोड पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस वाहन को देखकर खेतों की तरफ भागने लगा, जिसे घेर कर पकड़ा तभी मोटरसाईकिल से आ रहे पंच साक्षी रघुवीरसिंह व अरविंद राजपूत के समक्ष उक्त व्यक्ति को पकड़ा। उस व्यक्ति ने अपना नाम अभिलाखसिंह होना बताया, जिसकी पंच साक्षीगण के समक्ष तलाशी ली, तलाशी लेने पर उसकी कमर में बांयी तरफ एक लोहे की छुरी खुरसी हुई मिली जिसके रखने का कोई लायसेंस न होना बताया। छुरी जब्तकर जब्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर0 पत्रक बनाया। तत्पश्चात् थाने पर आकर अप0क्र0-141/12 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान कथन लेखबद्ध किए गए। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

राज्य सरकार
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला मिण्ड

3. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि-

1-क्या अभियुक्त ने दिनांक 23.06.12 को समय 18:30 बजे, मौ किटी रोड पर अपने आधिपत्य में एक लोहे की छुरी को बिना वैध लायसेंस के रखा जो म०प्र० राज्य की अधिसूचना क्रमांक-6321-6552-11-बी (1) दिनांक 22.11.74 के विपरीत है ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रघुवीरसिंह उर्फ निम्मे अ०सा० 1, अरविंद अ०सा० 2, बंटी मेहरा अ०सा० 3, शशिमूषण रघुवंशी अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

6. प्रकरण में अभियोजन की ओर से जब्ती साक्षी रघुवीरसिंह अ०सा० 1 तथा अरविंद अ०सा० 2 को परीक्षित कराया गया। दोनों ही साक्षी अभियुक्त को नहीं जानते और उनके समक्ष कोई भी चाकू या छुरी जब्त होने के तथ्य से इंकार करते हैं। प्र०पी० 1 व 2 पर हस्ताक्षर अपने क्रमशः ए से ए तथा बी से बी भाग पर होना तो स्वीकार करते हैं किन्तु उक्त दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का कोई समर्थन नहीं करते हैं। उक्त साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्नों में उनके समक्ष दिनांक 23.06.12 को किटी रोड पर अभियुक्त के आधिपत्य से लोहे की प्रतिबंधित आकार की धारदार छुरी जब्त किए जाने का सुझाव देने पर साक्षियों द्वारा उक्त सुझाव से इंकार किया गया है। प्रकरण में जब्ती साक्षियों द्वारा अभियुक्त के आधिपत्य से प्रतिबंधित आकार की धारदार छुरी के जब्त किए जाने के तथ्य का कोई समर्थन नहीं किया गया है। साक्षियों द्वारा पुलिस कथन क्रमशः प्र०पी० 3 व 4 में विनिर्दिष्ट भाग के तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कराए जाने पर उक्त तथ्यों से भी इंकार किया गया है। इस प्रकार से उक्त साक्षीगण की साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्ष को कोई लाभ प्रदान नहीं करती है।

7. बंटी मेहरा अ०सा० 3 यह कथन करते हैं कि दिनांक 23.06.12 को थाना मौ में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी एस०बी०एस० रघुवंशी को सूचना मिली थी कि अभियुक्त किटी रोड पर आया है, जिसकी सूचना मिलने पर मय फोर्स शासकीय वाहन से बताए स्थान पर पहुंचे तो उन लोगों को देखकर अभियुक्त भागा जिसे घेरकर पकड़ा, तलाशी लेने पर कमर में बांयी तरफ छुरी रखे मिला, जिसके रखने का लायसेंस न होना बताया। अभियुक्त की थाना प्रभारी द्वारा जब्ती व गिरफ्तारी पंच साक्षियों के समक्ष किए जाने का कथन किया गया है। साक्षी अभिकथित

21.3.2013
साक्षिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
विजय नगर थाना

छुरी के आकार व उसके प्रतिबंधित होने के संबंध में मुख्य परीक्षण में कोई कथन नहीं किया गया है। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह कथन करता है कि न तो उसने और न ही किसी अन्य पुलिस के व्यक्ति ने कथित छुरी को नापा था।

8. प्रकरण में जब्तीकर्ता शशिमूषण रघुवंशी अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया है जो दिनांक 23.06.12 को थाना मौ में नगर निरीक्षक के पद पर होने का कथन करते हैं और यह बताते हैं कि उक्त दिनांक को उन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चोरई थाना असवार जिला भिण्ड का फरारी बदमाश अभिलाखसिंह किटी रोड तरफ जा रहा है। उक्त सूचना को सान्हा क्र० 914 पर अंकित कर रोजनामचा सान्हा क्र० 915 पर रवानगी अंकित कर शासकीय वाहन से मय फोर्स मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर खेतों की तरफ भागने लगा जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा। यह भी कथन करते हैं कि उसी समय मोटरसाईकिल पर आ रहे पंचान रघुवीर गुर्जर व अरविंद राजपूत के सामने उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अभिलाखसिंह राजपूत निवासी चोरई का होना बताया। तलाशी लेने पर उसकी कमर में बांयी तरफ पैंट के नीचे एक लोहे की छुरी खुरसी मिलने का कथन करते हैं, कथित छुरी की लंबाई एक वालिस्त चार अंगुल एवं छुरी की एक तरफ धारदार होने का कथन करते हैं। अभियुक्त से छुरी जब्तकर जब्ती पत्रक प्रपी० 1 तथा गिर० कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 2 बनाए जाने का कथन करते हुए सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। न्यायालय में प्रस्तुत छुरी आर्टीकल ए 1 को अभियुक्त से जब्त किया जाना बताते हैं। लौटकर थाना में वापसी किया जाना जिसे प्र०पी० 6 के रूप में बताते हैं। साथ ही अपराध को प्र०पी० 7 के रूप में पंजीबद्ध कर उसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

9. प्रकरण में जब्तीकर्ता शशिमूषण रघुवंशी द्वारा अभिकथित मुखबिर की सूचना थाने पर मिलने का कथन किया गया है किन्तु प्रतिपरीक्षण में बताने में अस्मर्थ हैं कि कितने बजे सूचना मिली थी, यह भी बताने में अस्मर्थ हैं कि थाने से कितने बजे रवाना हुए थे। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जब्तीकर्ता शशिमूषण अ०सा० 4 कथित अभियुक्त की सूचना मुखबिर से मिलना बताते हैं किन्तु कथित जब्ती स्थल पर यदि रवाना हुए तो उनके द्वारा कथित छुरी पर कोई नमूना सील अंकित किया गया हो, ऐसा तथ्य अभिलेख पर नहीं है। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में स्वीकार करते हैं कि जब्ती पंचनामा में कोई नमूना सील नहीं लगी है। प्र०पी० 1 के कॉलम नं० 13 में नमूना सील का कॉलम रिक्त है। अभिकथित छुरी को किस अवस्था में लाया गया इसके संबंध में अनुसंधानकर्ता के द्वारा कोई कथन नहीं किया गया है और प्र०पी० 1 में इस बात का उल्लेख नहीं है कि कथित छुरी को कपडे में सीलबंद किया गया हो। जहां प्रकरण में अभिकथित जब्ती के साक्षी जो रघुवीर अ०सा० 1 तथा अरविंद अ०सा० 2 द्वारा भी कोई समर्थन नहीं किया गया है।

गणिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मेरठ जिला सिण्ड ४०५५

10. प्रकरण में जब्तीकर्ता शशिमूषण अ०सा० 4 जब्तशुदा छुरी की लंबाई एक वालिस्त चार अंगुल होना बताते हैं। बंटी मेहरा अ०सा० 3 का कथन अभिकथित छुरी की नाप के संबंध में उल्लेखनीय है जो कण्डिका 3 में यह बताते हैं कि जब्तशुदा छुरी को न तो उन्होंने नापा था और न ही किसी अन्य पुलिस के व्यक्ति ने उसे नापा था, वे कथित छुरी की लंबाई चौड़ाई बताने में अस्मर्थ हैं। शशिमूषण अ०सा० 4 के अनुसार यदि जब्ती पत्रक प्र०पी० 1 जब्ती स्थल पर बनाया गया तो फिर जब्ती पत्रक में वहां उप० व्यक्ति के द्वारा कथित जब्तशुदा छुरी की मौके पर कोई नाप न किए जाने का कथन जब्ती कार्यवाही को संदिग्ध दर्शा रहा है। म०प्र० राज्य की अधिसूचना क्रमांक-6321-6552- 11-बी (1) दिनांक 22.11.74 के अधीन प्रतिबंधित आकार की धारदार वस्तु को सार्वजनिक स्थान पर संधारित किए जाने से निषेधित किया गया है, जिसमें धारदार वस्तु के फन की लंबाई 6 इंच अथवा चौड़ाई 2 इंच से अधिक होना आवश्यक है अथवा खटकादार छुरी की दशा में उक्त खटकादार छुरी प्रतिबंधित आकार में आती है। ऐसे में सर्वप्रथम तो कथित साक्षी बंटी मेहरा अ०सा० 3 ने छुरी का कोई भी आकार नहीं बताया है। साथ ही शशिमूषण अ०सा० 4 द्वारा जो कथित छुरी की लंबाई बताई है वह उपबंधित प्रावधान के अनुसार दाण्डिक अभियोजन की पूर्ति हेतु पर्याप्त थी या नहीं, इस संबंध में अभियोजन साक्ष्य मौन हैं।

11. बंटी मेहरा अ०सा० 3 यह स्वीकार करते हैं कि जब्ती पत्रक प्र०पी० 1 तथा गिर० पत्रक प्र०पी० 2 पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं, यह स्वीकार करते हैं कि बाजार में चाकू, छुरी, हसिया आदि सब्जी वाले व किसानों के पास आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे में अभिकथित छुरी की विनिर्दिष्ट पहचान का कोई भी तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। यह साक्षी जो कि अभियुक्त की कमर से स्वयं छुरी निकालना बताता है वह अभिकथित छुरी की लंबाई चौड़ाई और विशिष्ट पहचान के संबंध में कोई भी कथन नहीं करता है। यह साक्षी स्वीकार करता है कि समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों से चाकू, छुरी, शराब, जुआ, सट्टा आदि पकड़ने के अभियान के निर्देश आते रहते हैं। शशिमूषण अ०सा० 4 भी कथित छुरी की विशिष्ट पहचान का कोई कथन नहीं करते हैं। यहां तक कि जिस स्थान से अभियुक्त को गिरफ्तार करना बताते हैं उसका भी निश्चित स्थान के रूप में कथन करने में अस्मर्थ हैं। यद्यपि यह साक्षी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अभियान के तहत अभियुक्त पर असत्य रूप से छुरी रखने का प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने से इंकार करता है। बंटी मेहरा अ०सा० 3 भी इस तथ्य से इंकार करता है, जबकि अभियुक्त तो स्वयं थाने में समर्पित होने निहत्था आया था।

12. साक्षी बंटी मेहरा अ०सा० 3 जो कि अभियुक्त के कब्जे से कथित छुरी जब्त करना बताता है वह प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि यदि अभियुक्त उसके समक्ष आ जाए तो भी वह उसे नहीं पहचान सकता है जिसका स्पष्टीकरण देते हुए बताता है कि क्योंकि घटना को 5 साल हो गए हैं। किन्तु साक्षी द्वारा स्वयं अभियुक्त के आधिपत्य से छुरी जब्त किए जाने के बावजूद उसकी पहचान

शशिमूषण
प्रथम प्रणी
म०प्र० राज्य

29

करने में अस्मर्थता व्यक्त करता है। शशिमूषण प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह बताने में अस्मर्थ है कि अभियुक्त को किस विशिष्ट स्थान पर पकड़ा गया था जबकि यह स्वीकार करते हैं कि अभियुक्त के गिरा एवं जब्ती पत्रक में कोई निश्चित स्थान अंकित नहीं है। ऐसे में साक्षी का अभिकथन अभियुक्त के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु पर्याप्त एवं विश्वसनीय नहीं है।

13. प्रकरण में जब्ती व गिरफ्तारी प्र०पी० 1 व 2 के पंच साक्षीगण रघुवीर अ०सा० 1 तथा अरविंद अ०सा० 2 ने भी अभियोजन कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया है। साथ ही प्रकरण में पुलिस कथन धारा 161 दप्रस प्र०पी० 3 व 4 के विनिर्दिष्ट भागों से उनके कथनकर्ता द्वारा इंकार किया गया है। ऐसी दशा में प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 145 के अधीन साक्षियों का ध्यान पूर्वतन कथन की ओर दिलाए जाने पर उसमें तात्त्विक विरोधाभास व लोप होना पाए गए हैं। प्रकरण में प्र०पी० 5 व 6 के रूप में रोजनामचा सान्हा की कार्बन प्रति को शशिमूषण अ०सा० 4 ने अंकित किया जाना बताया है किन्तु उक्त प्र०पी० 5 व 6 पर उनके हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं हैं और रोजनामचा सान्हा की कार्बन प्रति लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आती है ऐसे में उसे प्राइवेट दस्तावेज की भांति मूल रोजनामचा सान्हा के माध्यम से प्रमाणित किया जाना चाहिए था। ऐसे प्रमाणित किए बिना उसका साक्षिक मूल्य नगण्य है।

14. दंडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 23.06.12 को समय 18:30 बजे, मौ किटी रोड़ पर अपने आधिपत्य में एक लोहे की छुरी को बिना वैध लायसेंस के रखा जो म०प्र० राज्य की अधिसूचना क्रमांक-6321-6552-11-बी (1) दिनांक 22.11.74 के विपरीत है। अतः अभियुक्त अभिलाख को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी) बी के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15. अभियुक्त-जेल में हैं। अतः यदि अभियुक्त की अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलंब छोड़ा जावे।

16. प्रकरण में जब्तशुदा छुरी अपील अवधि पश्चात् विधिवत मूल्यहीन होने से तोड़कर नष्ट की जावे। अपील होने पर मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

0. कृष्णमूर्ति
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मेरठ जिला सिविल मजिस्ट्रेट

17. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहा हो, तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

रणक 0 जुलाई 2015
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

रणक 0 जुलाई 2015
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

